न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस. संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./2022/321/अजमेर

विभागीय अपील द्वारा श्री रामलाल जाट तत्कालीन पटवारी बीती हाल पटवारी ढाणी पुरोहितान, तहसील किशनगढ, विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर राजस्व/2022/103 दिनांक 01.06.2022 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः— श्री श्री रामलाल जाट तत्कालीन पटवारी बीती हाल पटवारी ढाणी पुरोहितान, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।

निर्णय

दिनांकः— 15.03.2023

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत अनुशासनिक प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के आदेश दिनांक 01.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन क्रमांक संस्था/230 दिनांक 13.08.2021 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः—

आरोप संख्या— 1

राजस्व ग्राम नयागांव पटवार हल्का बीती पर कार्यरत रहने के दौरान तत्समय में राजस्व ग्राम नयागांव पटवारी हल्का बीती भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरना, किशनगढ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंम्बर 706/289 व 707/289 कृषि भूमि के राजस्व मानचित्र दिनांक 19.12.2020 के कम्प्यूटरीकृत मानचित्र में 708/289 व 706/289 के राजस्व रिकॉर्ड /मानचित्र में दिनाक 27.07.2021 में जारी प्रति के अनुसार बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व बगैर तहसीलदार के आदेश के स्वयं के स्तर पर ही राजस्व रिकॉर्ड में नियम विरूद्ध हेराफेरी कर गलत अंकन (तरमीम व

संशोधन) कर दिया। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षकार द्वारा आपके विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत करने पर तहसीलदार किशनगढ से जांच कराये जाने पर नायब तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में आपके उक्त कृत्य को राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही व उच्चाधिकारियों के आदेश के बिना, नियम विरूद्ध कार्य किया जाना माना है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप एवं तहसीलदार किशनगढ के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के दण्डादेश दिनांक 01.06.2022 को इस अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी कार्मिक को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर उपखण्ड अधिकारी किशनगढ से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा अपीलार्थी पर आरोपित आरोप को सिद्ध मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपनी अपील में वर्णित कथनों को ही कमोबेश दोहराते हुये निवदेन किया गया कि अपीलार्थ द्वारा ग्राम नयागांव के खसरा नं. 708/289 व 706/289 के मध्य स्थित खसरा नं. 707 /289 के परिवर्तन का लगाया गया आरोप निराधार एवं मिथ्या है। राजस्व मानचित्र (नक्शा लट्ठा) में पूर्व में हो रखी तरमीम अनुसार खसरा नम्बर 708/289 व 707/289 मध्य खसरा नम्बर 706/289 स्थित है। एवं आरोप पत्र में अंकित राजस्व मानचित्र की कम्प्यूटरीकृत नकल दिनांक 27.07. 2021 भी नक्शा, लट्ठा अनुरूप ही है। आरोप पत्र में राजस्व रिकार्ड (नक्शा) में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व बगैर, तहसीलदार के आदेश के स्वयं के स्तर पर ही राजस्व रिकार्ड में नियम विरूद्ध हैराफैरी कर गलत अंकन (तरमीम व संशोधन) करने का आरोप पूर्ण रूप से निराधार व अस्वीकार्य है।

प्रार्थी कालू पुत्र नानू कौम गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2020 से ग्राम नयागांव के कम्प्यूटर नक्शे में ख0नं० 706/289 की सेग्रीकेशन के दौरान हुई अशुद्धि को दुरूस्त करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की मौका जांच दिनांक 15.12.2020 को की गई, मौके पर नवशा लट्ठा अनुसार पूर्व तरमीम के अनुरूप काबिज होने से मौका रिपोर्ट तैयार की गई। मौका व नक्शा लट्ठा अनुसार सेग्रीकेशन जमाबन्दी /नक्शा में दुरूस्ती बाबत् निर्धारित प्रारूप में मय भू0अ0. निरीक्षक बरना की अनुशंषा सहित रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढ को दिनांक 05.01.2021 को प्रस्तुत कर दी गई थी। जिस पर तहसीलदार द्वारा LRC/OK मार्क किया गया था। उक्त प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप ही LRC/OK द्वारा कम्प्यूटर नक्शे में तहसील स्तर पर कार्यवाही की जाकर कम्पयूटर नक्शा, लट्ठा नक्शा व मौके की रिपोर्ट के अनुसार ही दुरूस्त किया गया है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड (नक्शे/जमाबंदी) में कोई संशोधन /दुरूस्ती एल.आर.सी. की आई.डी व तहसीलदार की आई.डी. बिना कतई संभव नहीं है। आरोप पत्र में नायब तहसीलदार, किशनगढ के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप लगाया जाना अंकित किया है जिसके बिन्दु संख्या 07 में अंकित है कि कम्प्यूटर नक्शे में शुद्धि पत्र, मौके पर कब्जे की स्थिति तथा नक्शा लट्ठा के अनुसार एल.आर.सी. द्वारा दुरुस्त किया गया है। बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एल.आर. सी. कोई दुरूस्ती नहीं कर सकता है, इसलिये जो भी दुरूस्ती हुई है, तहसीलदार की स्वीकृति के बाद हुई है। प्रार्थी द्वारा इसमें कोई हेरा–फेरी नहीं की है। तहसीलदार (भूअ.) किशनगढ़ के पत्र कमांक 2021/3784, दिनाक 22.07.2021 द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार रिपोर्ट से इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस रिपोर्ट में अंकित है कि प्रार्थीया या उसके पुत्र द्वारा लगाये गये आरोप पूर्णतया निराधार है। अतएव ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 01.06.2022 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा प्रेषित टिप्पणी, तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो एवं व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा नजर अन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं

होता है। अतएव ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 01.06.2022 अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री रामलाल जाट तत्कालीन पटवारी बीती हाल पटवारी ढाणी पुरोहितान, तहसील किशनगढ, के विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 01.06.2022 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर